दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ
रोजगार सूचना सं. पी–एचक्यू/आरआरसी/761/2024–25

मुख्यालय कार्मिक विभाग, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, आरटीएस कालोनी, बिलासपुर (छ0ग0) 495004

HEADQUARTER, PERSONNEL DEPARTMENT, RAILWAY RECRUITMENT CELL, R.T.S. COLONY, BILASPUR (C.G.) 495004

सांस्कृतिक कोटा के अंतर्गत भर्ती

जारी करने की तिथिः 31.08.2024 **अंतिम तिथिः 30.09.2024 को 23:59 बजे तक**

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में वर्ष 2024–25 के लिये निम्नलिखित पदों में सांस्कृतिक कोटा के तहत ग्रुप 'सी' केटेगरी में 2 (दो) पदों की भर्ती के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं जिसे पे लेवल–2, (7th सी पी सी) पर भर्ती किया जाना है:–

1. पदों/प्रभागों का विवरण–

क.सं	प्रभाग (Discipline)	पद की संख्या	आवश्यक सांस्कृतिक योग्यता
01.	नॉन– पर्कयूशन इंस्ट्रूमेंट्स (कीबोर्ड/गिटार को प्राथमिकता दी जाएगी)	01	सरकारी/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थानों से हारमोनियम, कीबोर्ड, सितार, गिटार, बांसुरी, वायलिन, सरोद, संतूर, सारंगी संबंधित प्रभागों में डिग्री /डिप्लोमा/प्रमाणपत्र धारक।
02	पर्कयूशन इंस्ट्रूमेंट्स (ऑक्टोपैड/हैंडसोनिक को प्राथमिकता दी जाएगी)	01	सरकारी/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थानों से तबला, ढोलक, नाल, पखावज, ऑक्टोपैड, हैंड–सोनिक, ध्वनिक (एकोस्टिक) ड्रम आदि संबंधित प्रभागों में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र धारक।

2. शैक्षणिक योग्यताएँ –

किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं (+2) अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (50 प्रतिशत अंकों की शर्त अजा/अजजा/भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवारों के लिए तथा उच्च शिक्षा यथा स्नातक, स्नातकोत्तर हेतु बाध्य नहीं है) या कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप/आईटीआई पास (एनसीवीटी/एससीवीटी द्वारा अनुमोदित ट्रेड में)।

[इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सहित कोई भी अन्य योग्यता को विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।]

3. आयु सीमाएं–

उम्मीदवारों को **01.01.2025** को 18 वर्ष की आयु का होना चाहिये तथा 30 वर्ष पूर्ण नही किया होना चाहिये। अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता अपि वर्ग के उम्मीदवारों के लिये 03 वर्ष तक तथा अजा/अजजा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये 05 वर्ष तक है।

लेबल-२ (7TH सी पी सी) / के पदों के लिए आयु सीमा:

उम्र समुह	न्यूनतम उम्र	ऊपरी उम्र		
18-30 वर्ष	01.01.2007 सभी वर्गों के लिए	अनारक्षित	अपिव	अजा/अजजा
		01.01.1995	01.01.1992	01.01.1990

3.1 आयु शिथिलता का विस्तारः

ए.	सेवारत रेलवे कर्मचारी, जिन्होंने लगातार तीन वर्षों की सेवा की हो तथा एवजी कर्मचारी जो रेलवे में लगातार तीन वर्षों की सेवा अथवा तीन वर्षों की खंडित सेवा की हो	अनारक्षित – 40 वर्ष अपिव – 43 वर्ष अजा / अजजा – 45 वर्ष
बी.	विधवा / तलाक शुदा महिलाएं तथा कानूनी रूप से पृथक महिला जो पुनर्विवाह न किया हो	अनारक्षित – 35 वर्ष अपिव – 38 वर्ष अजा / अजजा – 40 वर्ष
सी	ऐसे व्यक्ति जो 01 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू तथा कश्मीर राज्य के कश्मीर डिविजन में सामान्य रूप से निवास किये हों	05 (पांच) वर्ष तक।
डी.	रेलवे प्रतिष्ठानों के क्वासी (quasi) प्रशासनिक कार्यालयों के कर्मचारी	5 वर्ष तक (अथवा) ऐसी प्रतिष्ठानो में उनके स्टाफ द्वारा प्रदान की गई सेवा, जो भी कम हो, आयु में शिथिलता दिये जायेंगे।
ई.	भूतपूर्व सैनिक	सुरक्षा सेवाओं में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा तक धन 3 वर्ष तक आयु में शिथिलता दिये जायेंगे, बशर्ते कि उन्हें इस आशय का प्रमाण देना होगा कि अभिप्रमाणन के बाद निम्नतम 06 महीने की सेवाएं दी है तथा पुनःसेवा के लिये 40 वर्ष की उम्र तक सरकारी सेवा में कर्मचारी नहीं है।
एफ.	निःशक्त व्यक्ति (40% या उससे अधिक)	अनारक्षित – 40 वर्ष अपिव – 43 वर्ष अजा / अजजा – 45 वर्ष

नोट (i) विशिष्ट कोटि तथा पदस्थापना के स्थान पर निर्णय दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा चयनित उम्मीदवार के नियुक्ति के प्रस्ताव के समय लिया जावेगा।

(ii) अधिसूचित पद के समुदाय के ब्रेकअप पर निर्णय नियुक्ति के प्रस्ताव के समय, चयनित उम्मीदवारों के समुदाय (वर्ग) के आधार पर लिया जायेगा। तदनुसार, सभी वर्गों (अनारक्षित, अपिव, अजा / अजजा) के योग्य उम्मीदवार अधिसूचित पदों के लिये आवेदन कर सकते हैं।

(iii) अजा / अजजा समुदाय के उम्मीदवार **अनुलग्नक–'ए'** प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें जो कम से कम तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। जाति प्रमाण पत्र को स्कैन कर

अपलोड करें।

(iv) अपिव समुदाय के उम्मीदवारों को इस अधिसूचना के **अनुलग्नक– 'बी'** में दिए गए प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपिव के उम्मीदवारों को **अनुलग्नक– 'सी** में दिए गए प्रारूप में नॉन–क्रीमी लेयर स्टेटस का स्व–घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा। **अपिव समुदाय** के उम्मीदवार अपिव प्रमाण पत्र एवं नॉन–क्रीमी लेयर स्टेटस का स्व–घोषणा पत्र को स्कैन कर अपलोड करें तथा उसकी मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें।

(v) सेवारत रेल कर्मचारी एवं अर्द्धशासकीय रेल संगठन के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी : नियोक्ता से प्राप्त ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' एवं ''बोनाफाइड प्रमाण पत्र'',जिसमें नियमित सेवा अवधि को दर्शाया गया हो, दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रदद् कर दी जायेगी।

(vi) **तलाकशुदा / कानूनी** रूप से अपने पति से अलग महिला : तलाकशुदा होने / कानूनन अपने पति से अलग हो जाने के संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की प्रति एवं तब से अब तक पुनर्विवाह न किए जाने के संबंध में शपथ पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रदद् कर दी जायेगी।

(vii) **विधवा** : अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पुनर्विवाह न किए जाने के संबंध में शपथ पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रदद् कर दी जायेगी।

(viii) **भूतपूर्व सैनिकः** डिस्चार्ज प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रदद् कर दी जायेगी।

(ix) **निःशक्त व्यक्ति** : सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी **'दिव्यांगता प्रमाण पत्र'**, जिसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत बनाए गए मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो और उस बोर्ड में कम–से–कम तीन सदस्य रहे हों एवं उनमें से एक सदस्य शारीरिक / मानसिक / दृश्य / श्रवण दिव्यांगता, जो भी स्थिति हो, के विशेषज्ञ हों, दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रदद् कर दी जायेगी।

(x) आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का अर्थ है ऐसे उम्मीदवार जिनकी वार्षिक परिवारिक आय रू. 50,000 / –से कम हो। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की पहचान के उद्देश्य के लिये निम्नलिखित अधिकारी आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिये अधिकृत हैः–

1. जिला दण्डाधिकारी या अन्य कोई राजस्व अधिकारी जो कि तहसीलदार के समकक्ष हो।
2. ऐसे व्यक्ति के लिये, उनके स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा के संसद का मौजूदा सदस्य।
3. केन्द्रीय मंत्री भी देश के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति के लिये सिफारिश कर सकते हैं।
4. राज्य सभा संसद के मौजूदा सदस्य, उस जिले के व्यक्ति के लिये जहां सांसद सामान्य रूप से रहते हैं।

नोट– केन्द्रीय शासन द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी बीपीएल कार्ड या कोई अन्य प्रमाण पत्र या रेलवे द्वारा जारी किया गया इज्जत एमएसटी भी मान्य है।

आर्थिक रूप से पिछडे उम्मीदवार आय प्रमाण पत्र का प्रारूप जैसा कि **अनुलग्नक – 'डी'** में है स्कैन कर अपलोड करें।

(xi) जो उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय के हैं (मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिक्ख, बौद्व, जोरोस्ट्रयंस (पारसी), अल्पसंख्यक समुदाय का घोषणा पत्र **अनुलग्नक 'ई'** के प्रारूप में जमा करें।

4. वांछनीय –

(i) संबंधित क्षेत्र में अनुभव तथा ऑल इंडिया रेडियो / दूरदर्शन आदि में दिये गये कार्यक्रम।

(ii) राष्ट्रीय स्तर पर जीता हुआ पुरस्कार।

5. चयन का तरीका –

I) चयन प्रक्रिया निम्नानुसार है : उम्मीदवार जो इस नोटिफिकेशन के विरूद्ध आवेदन देते हैं एवं योग्य

पाये जाते हैं।

ए	**लिखित परीक्षा** (नोटः लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्प प्रश्न सामान्य ज्ञान, अंकगणित तथा सांस्कृतिक संबंधित होंगे)	50 अंक
बी	(i) निम्न के आधार पर संबंधित क्षेत्र में प्रतिभा का निर्धारण : हारमोनियम, कीबोर्ड, सितार, गिटार, बांसुरी, वायलिन, सरोद, संतूर, सारंगी, तबला, ढोलक, नाल, पखावज, ऑक्टोपैड, हैंड–सोनिक, ध्वनिक (एकोस्टिक) ड्रम आदि विधाओं पर व्यवहारिक प्रदर्शन। (ii) प्रमाण पत्र / पुरस्कार आदि (संबंधित प्रभाग में)	35 अंक 15 अंक
	कुल	100 अंक

(नोट :जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में अहर्ता प्राप्त अंक . 40%, अर्जित करते हैं उन्हीं अभ्यर्थियों को संबंधित क्षेत्र में व्यवहारिक प्रदर्शन हेतु बुलाया जाएगा)।100 अंको पर प्राप्तांक के अनुसार पैनल मेरिट के आधार पर बनाया जाएगा।

II. नियुक्ति के लिये सिफारिश किये गये उम्मीदवारों को, पदों के लिये निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक मेडिकल फिटनेस उत्तीर्ण करना होगा जिसे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा चिन्हित किया जायेगा ।

III. लिखित परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों को बुलावा पत्र से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जायेगी। लिखित परीक्षा तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। पात्र उम्मीदवारों की सूची तथा अपडेट्स को दपूम रेलवे के वेबसाईट www.secr.indianrailways.gov.in में दर्शाये जायेंगे।

IV. क्लर्कों की सभी श्रेणियों के लिए सांस्कृतिक कोटा के तहत नियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर टंकण में प्रवीणता की आवश्यकता होगी और उनकी नियुक्ति निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित टंकरण योग्यता प्राप्त करने के अधीन अनंतिम होगी।

6. **वेतनमानः** (लेवल 2, 7^{th} सी पी सी)

7. **आवेदन कैसे करें –**

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में अपने साथ तैयार रखें।

(ए) पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ (25 से 75 केबी)
(बी) स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर।
(सी) आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति (अजा / अजजा / अपिव) और सांस्कृतिक योग्यता हारमोनियम, कीबोर्ड, सितार, गिटार, बांसुरी, वायलिन, सरोद, संतूर, सारंगी, तबला, ढोलक, नाल, पखावज, ऑक्टोपैड, हैंड–सोनिक, ध्वनिक (एकोस्टिक) ड्रम आदि विधाओं के समर्थन में प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की सभी प्रतिलिपि स्वअभिप्रमाणित होनी चाहिए।
(डी) अपिव प्रमाण पत्र अनुलग्नक **–बी' के** प्रारूप **एवं** अपिव स्व–घोषणा पत्र अनुलग्नक **–सी' के** प्रारूप होनी चाहिए।

i) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वेबसाइट को देखें: www.secr.indianrailways.gov.in →Recruitment → RRC Bilaspur.

ii) '' नोटिफिकेशन फॉर सांस्कृतिक कोटा 2024–25 लिंक पर क्लिक करें।

iii) ''न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक'' पर क्लिक करें।

iv) यक्तिगत जानकारी हेतु आवेदक अपना मोबाईल नंबर एवं ईमेल आईडी प्रदान करें। (कृपया अपना व्यक्तिगत मोबाईल नंबर एवं ईमेल आईडी प्रदान करें। भर्ती से संबंधित सभी जानकारी रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर एवं ईमेल आईडी पर प्रदान की जायेगी

v) आवेदन सबमिट होने पर रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर एवं ईमेल आईडी पर एसएमएस प्राप्त होगी।

vi) अपने रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर एवं ईमेल आईडी का इनबॉक्स ओपेन करें तथा रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड को नोट करें।

vii) ईमेल/एसएमएस से प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर तथा पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।

viii) निर्देश का अनुपालन करें तथा चरणबद्व तरीके से रजिस्ट्रेशन की प्रकिया पूरी करें।

ix) फोटो, हस्ताक्षर, **आपेक्षित** प्रमाण **पत्रों की** स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि **जैसा कि ऊपर ए से** डी) **तक बताया गया है, स्कैन कर** अपलोड करें।

x) आवेदन सबमिट करें। आवेदन की दो प्रतियाँ प्रिंट कर अपने पास रखें।

{रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड को अपने पास सुरक्षित रखें।अगले चरण में इसकी आवश्यकता होगी जैसे लिखित परीक्षा का बुंलावा पत्र डाउनलोड करने, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलावा पत्र डाउनलोड करने इत्यादि। हस्ताक्षर रनिंग हस्तलिपि में होना चाहिए और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नहीं होना चाहिए।}

उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि निम्नलिखित का वर्णन करें :

i) ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन में ग्रेड 'ए' और ग्रेड 'बी' कलाकार/स्कॉलरशिप के रूप में भाग लिया हो।

ii) अंतर्राराष्ट्रीय प्रतियोगिता/वर्कशॉप में भाग लिया हो।

iii) राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता/वर्कशॉप में भाग लिया हो।

iv) राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता/सेमिनार/वर्कशॉप में भाग लिया हो।

v) राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता/जिला स्तरीय प्रतियोगिता/वर्कशॉप में भाग लिया हो।

कार्यकम का ब्यौरा, लेबल, तिथि, स्थान, प्रमाण पत्र संख्या और जारी करने वाले अधिकारी के बारे में वर्णन होना चाहिए। सिर्फ वर्णित प्रमाण पत्रों की ही स्कूटनी, दस्तावेज सतयापन के समय की जाएगी।

८. अमान्य आवेदन

आवेदन में निम्नलिखित में से किसी तरह की कमियॉ/खामियॉ या अनियमितता होने से संक्षिप्त रूप से अमान्य कर दिया जायेगा।

i) अनुचित तरीके से स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर वाला आवेदन।

ii) आवेदन उचित प्रमाण पत्रों के बिना आवेदन, जैसे कि जन्मतिथि मे, शैक्षणिक योग्यता,सांस्कृतिक योग्यता, जाति (अजा/अजजा/अपिव एवं अपिव का स्व–घोषणा पत्र)। प्रमाण पत्र वर्णित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त करें।

{उम्मीदवार के पास नोटिफिकेशन की तिथि को अपेक्षित शैक्षणिक/सांस्कृतिक योग्यता होनी चाहिए।}

iii) एक ही उम्मीदवार के एक से अधिक आवेदन।

iv) अन्य कोई अनियमितता जो समझा जाए।

9. **महत्वपूर्ण निर्देश :**

9.1 उम्मीदवार आयु सीमा में छूट लेना चाहते हैं, उन्हें आपेक्षित जाति प्रमाण पत्र वर्णित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ जमा करें तथा अपलोड करना है अन्यथा उनका आरक्षण स्थिति का दावा पर विचार नहीं किया जायेगा और ऐसे उम्मीदवारों को अनारक्षित माना जायेगा बशर्ते वे अनारक्षित उम्मीदवार की पात्रता पूरी करते हैं।

9.2 उम्मीदवारों द्वारा गलत घोषणा/विवरण देने की स्थिति में भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी रदद् कर दी जायेगी।

9.3 चयन प्रक्रिया के सभी मामलों में रेलवे का निर्णय अंतिम होगा।

9.4 हिन्दी अधिसूचना में किसी तरह का शंका या संदेह की स्थिति में अंग्रेजी अधिसूचना को सही माना जाएगा।

9.5 उम्मीदवारों को निर्देशित किया जाता है कि आर आर सी बिलासपुर का वेबसाइट देखें : **www.secr.indianrailways.gov.in . →Recruitment → RRC/Bilaspur.**

10. **परीक्षा शुल्कः (i)** नीचे उप–कण्डिका (ii) में वर्णित को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिये 500/– (रूपये पांच सौ मात्र)। वापस करने के प्रावधान के साथ जो वास्तव में लिखित परीक्षा में उपस्थित होते हैं, उनके लिए 400/–(चार सौ रूपये मात्र) वापसी योग्य।

(ii) एससी/एसटी समुदायों के उम्मीदवारों महिलाएं, **ट्रांसजेण्डर**, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, इसाई, सिक्ख, बौद्ध तथा पारसी) विकलांग व्यक्तियों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये: 250/– (रूपये दो सौ पचास मात्र) वापस करने के प्रावधान के साथ जो वास्तव में लिखित परीक्षा में उपस्थित होते हैं, उनके लिए 250/–(**दो** सौ **पचास** रूपये मात्र) वापसी योग्य।

11. **किसे आवेदन करें** : (लेवल 2, 7th सी पी सी) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाये।

12. **संलग्नक** : उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करते समय प्राप्त निर्देशानुसार दस्तावेज की प्रतिलिपियॉ स्कैन कर अपलोड करें।

13. **सामान्य शर्तेः** चयन के संबंध में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ का निर्णय अंतिम होगा। जिन उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ, उनसे पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी रूप में सिफारिश से उम्मीदवार अयोग्य हो जायेगा। भर्ती के संबंध में अपडेट्स के लिये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की वेबसाईट <u>www.secr.indianrailways.gov.in</u> पर लॉग ऑन करें।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पर जारी किया गया है।
संलग्नकः अनुलग्नक 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' ई,

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ
द.पू.म. रेलवे/बिलासपुर

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित :

ए) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण , बिलासपुर।
बी) मण्डल रेल प्रबंधक, द.पू.म.रेलवे बिलासपुर ,रायपुर एवं नागपुर।
सी) मुख्य कारखाना प्रबंधक/वेगन रिपेयर शॉप , रायपुर।
डी) उप मुख्य यांत्रिक अभियंता/(वर्कशाप)/मोतीबाग नागपुर, उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/जीएसडी रायपुर।

ई) मुख्य जनसूचना अधिकारी बिलासपुर , आपसे अनुरोध किया जाता है कि इस अधिसूचना का सांकेतिक सूचना रोजगार समाचार में प्रकाशित कराएं एवं इस कार्यालय को सूचित करें।

एफ) महासचिव , द.पू.म.रेलवे मजदूर कॉग्रेस/ बिलासपुर , ऑल इण्डिया एस सी एस टी रेलवे एम्पलोयी एसोसिएशन/ बिलासपुर व ऑल इण्डिया ओ बी सी रेलवे एम्पलोयी एसोसिएशन/ बिलासपुर।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ
द.पू.म. रेलवे / बिलासपुर

नोटः यदि रोजगार सूचना के English Version तथा Hindi Version में किसी प्रकार का difference हो, तो रोजगार सूचना के English Version को ही सही माना जाए।

अनुलग्नक 'ए

अजा/अजजा/के लिए जाति प्रमाण पत्र

. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री*/ श्रीमती/ कुमारी* ....सुपुत्र/सुपुत्री* .... गाँव/ शहर....................................... /जिला/ मंडल*..राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र*................................जाति*/ जनजाति से संबंधित है, जिसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के तहत मान्यता प्राप्त है :-

* संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950.
* संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950.
* संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश 1951;
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश 1951;

[अनुसूचित जाति तथ अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधित आदेश 1956, मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित]

* संविधान (जम्मू व कश्मीर)* अनुसूचित जाति आदेश, 1956
* संविधान (अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह)* अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित
* संविधान (दादर व नगर हवेली)* अनुसूचित जाति आदेश, 1962.
* संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश, 1962
* संविधान (पुदुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
* संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
* संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
* संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970.
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
* संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989.
* संविधान (अजा) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
* संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
* संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002.
* अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

2. एक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के मामले में लागू।

यह प्रमाणपत्र श्री/ श्रीमती*..............................पिता/ माता*...के श्री/ श्रीमती/ कुमारी...............निवासी................ गाँव/ शहर*........................./जिला/ मंडल*........................... राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र*.......................को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया है, जो................जाति/ जनजाति से संबंधित है, जिसे राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में दिनांक............से मान्यता प्राप्त है।

3. श्री/ श्रीमती/ कुमारी* और/ अथवा* उसका* परिवार राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र......................के .... जिला/ मंडल*............................ गाँव/ शहर* में सामान्यत: निवास करता है।

स्थान................................. हस्ताक्षर..

दिनांक................................. पदनाम...

(कार्यालय की मुहर सहित)

राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र.............

* जो लागू नहीं है, कृपया उसे काट दें।

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश का हवाला दें।

% लागू न होने वाले पैराग्राफ को हटा दें।

नोट: (क) यहाँ इस्तेमाल किए गए पद "सामान्यत: निवास' का अर्थ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार ही है। जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी।

1. जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ जिलाधीश/ उप आयुक्त/ अपर उप आयुक्त/ उप जिलाधीश/ प्रथम श्रेणी स्टाइपेंड्री मजिस्ट्रेट/ सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त। 2. चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। 3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से कम रैंक ,का न हो। 4. उस क्षेत्र का सब-डिविज़नल अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और उसका परिवार सामान्यत: निवास करता है। 5. केंद्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जिसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो। 6. प्रशासक/ प्रशासक के सचिव (लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी द्वीप)।

ओबीसी प्रमाणपत्र प्रारूप

भारत सरकार के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी ....सुपुत्र/ सुपुत्री ....गाँव/ शहर.........................जिला/ मंडल................... राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र.................................... समुदाय से संबंध रखता है, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं. ....दिनाक .... * के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी*...और/ अथवा उसका परिवार ....राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के... जिला/ मंडल ....में सामान्यत: निवास करता/ करती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना(एसमीटी), दिनांक 8.9.1993 की अनुसूची के कॉलम संख्या 3 में वर्णित व्यक्ति/ वर्ग (क्रीमीलेयर) और भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्थापना(आरईएस) दिनांक 27.05.2013 तथा 13.09.2017** द्वारा आशोधित, के अंतर्गत नहीं आता है।

दिनाक :

जिला मजिस्ट्रेट/ उप. आयुक्त आदि.

(मुहर)

* प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्योरा देना होगा, जिसके अंतर्गत उम्मीदवार की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है।

** समय-समय पर यथा संशोधित।

नोट : यहाँ इस्तेमाल किए गए पद "सामान्यत:' का अर्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार ही होगा।

अनुलग्नक-सी

घोषणा

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ /दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के रोजगार सूचना क्रमांक पी-एचक्यू/आरआरसी/761/2024-25 के अंतर्गत विज्ञापित पदों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले घोषणापत्र का प्रारूप-

"मैं,...सुपुत्र/सुपुत्री.......................
.... श्री......................................गाँव/ शहर/..........................जिला
.... राज्य..एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं..............................समुदाय (अपनी उप-जाति का उल्लेख करें), जिसे कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना(एससीटी), दिनांक 8.9.1993 में अंतर्विष्ट आदेशों के अनुसार सेवा में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह भी घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन 08.03.1993 और उत्तरवर्ती कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्थापना(आरईएस) दिनांक 27.05.2013 तथा 13.09.2017 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/ वर्गों (क्रीमीलेयर) के अंतर्गत नहीं आता हूँ।

स्थान : उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक : उम्मीदवार का नाम

अनुलग्नक 'डी'

घोषणा

अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों की स्व-घोषणा

(रोजगार सूचना सं.पी-एचक्यू/आरआरसी/761/2024-25 के अंतर्गत आवेदन-पत्र जमा कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा शुल्क से छूट के लिए दावा हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा-पत्र का प्रारूप)

मैं ,________________________________ सुपुत्र/सुपुत्री श्री______________________ निवासी गाँव/ शहर/ नगर________________जिला____________________राज्य ________________________ एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं __________(केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक वर्ग दर्शाए यथा मुस्लिम/ सिख/ इसाई/ बौद्ध/ जैन/ जोरोस्ट्रियन से (पारसी) संबद्ध रखता हूँ/ रखती हूँ।

तारीख :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर :

स्थान :

उम्मीदवार का नाम :

नोट : परीक्षा फीस की छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय गैर न्यायिक-स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् मुस्लिम/ सिख/ ईसाई/ बौद्ध/ जैन/ जोरोस्ट्रियन (पारसी)के अंतर्गत आता है।

अनुलग्नक-ई

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आय प्रमाणपत्र

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या पी-एचक्यू /आरआरसी/761/2024-25/ के पदों के लिए

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय

परीक्षा शुल्क छूट की घोषणा का प्रोफार्मा

1. उम्मीदवार का नाम : ....

2. पिता का नाम : ....

3. आयु : ....

4. आवासीय पता : ....

5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों व अंकों में) : ....

दिनांक : ....   हस्ताक्षर :

नाम :

जारी करने वाले प्राधिकारी का मोहर :

नोट : आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का मतलब उस उम्मीदवार से है, जिसकी पारिवारिक आय रु. 50,000/- रुपए से कम है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के प्रयोजन से आय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं :

1.जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के स्तर से ऊपर का राजस्व अधिकारी (2) लोकसभा के वर्तमान सांसद, उनके अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए (3) किसी ग़रीब उपशमन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी बीपीएल कार्ड या अन्य कोई प्रमाणपत्र या रेलवे द्वारा जारी इज़्ज़त एमएसटी (4) केंद्रीय मंत्री भारत में कहीं भी किसी व्यक्ति के लिए अध्यक्ष/ रेलवे भर्ती बोर्ड को सिफारिश कर सकता है (5) उस जिले के व्यक्तियों के लिए, जहाँ राज्य सभा का वर्तमान सद्स्य सामान्यत: निवास करता है।